न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 70 / 2025	2025 / 238	28.04.2025	04.06.2025

1– विवेक पुत्र बाबूलाल जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.03.2025 (रिलीजडीड / हकत्याग) नामान्तकरण संख्या 776 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री राजेश कुमार कांवटा —वकील अपीलान्ट

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के (रिलीजडीड / हकत्याग) नामान्तकरण संख्या 776 निर्णय 25.03.2025 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 289 / 377 रकबा 0.2400 है0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है, उक्त आराजी अपीलान्ट व उसके भाई विनय, विनित, विकास पुत्रान बाबूलाल को उनके पिताजी / दादाजी से विरासत में प्राप्त हुई है, जो अपीलान्ट व उसके भाई विनय व अन्य भाईयो को अपने मृतक दादाजी रामधन पुत्र गुंगा उर्फ रतीराम से जरिये विरसत नामान्तकरण संख्या 552 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास से विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलान्ट के भाई विनय द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 289 / 377 रकबा 0.2400 है0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास का 1 / 4 भाग कि रिलीजडीड / हक त्याग पत्र मिन अपीलान्ट के हक में दिनाक 26.12.2024 को तहरीर व तकमील कराकर दिनाक 26.12.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 617 में पृष्ट संख्या 138 क्रंम संख्या 20243359102245 पर उप पंजियक कार्यालय किशनगढबास के यहा पंजिबद्व कराया गया। बाद पंजियन मिन अपीलान्ट द्वारा असल रिलीजडीड / हकत्याग पत्र पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दी। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 776 दिनाक 13.02.2025 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाया गया। जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा यह नामान्तकरण यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि मुताबिक अंकन पटवारी स्पष्ट एवं पूर्ण रिपोर्ट ना होने एवं पुनः जॉच का विकल्प भी नही होने से नामान्तकरण खारिज योग्य है। तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई सुनवाई का

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

अवसर नही दिया गया। ताकि अंकित आक्षेप की पूर्ति की जाती, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी अपीलान्ट व उसके भाई विनय, विनित, विकास पुत्रान बाबूलाल को उनके पिताजी/दादाजी से विरासत में प्राप्त हुई है, अपीलान्ट के भाई विनय द्वारा आराजी खसरा संख्या 289/377 रकबा 0.2400 है0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास का 1/4 भाग कि रिलीजडीड/हक त्याग पत्र अपीलान्ट के हक में दिनाक 26.12.2024 को तहरीर व तकमील कराकर दिनाक 26.12.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 617 में पृष्ट संख्या 138 क्रंम संख्या 20243359102245 पर उप पंजियक कार्यालय किशनगढबास के यहा पंजिबद्व कराया गया। बाद पंजियन असल रिलीजडीड/हकत्याग पत्र पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दिया गया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 776 दिनाक 13.02.2025 को दर्ज कर वास्ते मंजूरी हेतु पीठासीन अधिकारी तहसीलदार किशनगढबास को प्रस्तुत किया गया। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि मुताबिक अंकन पटवारी स्पष्ट एवं पूर्ण रिपोर्ट ना होने एवं पुनः जॉच का विकल्प भी नही होने से नामान्तकरण खारिज योग्य है। तहत रिकार्ड/राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 157 में आराजी खसरा न0 289/377 रकबा 0.2400 है0 भूमि खातेदार कमशः विकास, विनय, विनीत, विवेक के नाम 1/4, 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है, जबकि पटवारी हल्का द्वारा वाके ग्राम महरमपुर का नामान्तकरण संख्या 776 दिनाक 13.02.2025 को मुताबिक पंजिकृत हकत्याग लेख के आधार पर दर्ज कर वास्ते निर्णय पीठासीन अधिकारी तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया है में खाता संख्या 157 आराजी खसरा न0 289/377 रकबा 0.2400 है0 भूमि 4 खातेदारान क्रंमशः विवेक, विनय के नाम 1/4, 1/4 भाग दर्ज बाकि बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में उल्लेखित रजिस्ट्रड/बंधक दस्तावेज संख्या 20243359102245 दिनाक 26.12.2024 के आधार पर खाता संख्या 157 आराजी खसरा न0 289/377 रकबा 0.2400 है0 भूमि 3 खातेदारान क्रंमशः विवेक विनय के नाम 1/2 भाग दर्ज बाकि बदस्तूर दर्ज रिकार्ड की गयी है। नामान्तकरण सही दर्ज किया गया है, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 25.03.2025 नामान्तकरण संख्या 776 ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर विधिक–प्रावधानुसार अपीलान्ट का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एव जिला
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)